न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 290/17 (RCMS No. 2017/00309 (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

पुष्पा पुत्री नानगा पत्नि लटूर जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा हाल निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र गोपी जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा
2. सरपंच ग्राम पंचायत भैडोला, पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार चौथ का बरवाडा
4. रामपति पुत्री नानगा पत्नि कन्हैया जाति मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा दिनांक 30.12.2011 एवं नामा0 सं0 38 दिनांक 23.10.2000 ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

उपस्थितिः—

1. श्री बच्चू सिंह जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—27.03.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 30.12.2011 एवं नामान्तरकरण सं0 38 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत भोडोला के आदेश दिनांक 23.10.2000 वॉके ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की मॉ स्व0 मूली वेवा नानगा ने नामा0 सं0 38 के विरूद्व उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय में अपील

इस आशय की पेश की थी कि अपीलान्ट के कोई पुत्र न होने के बाबजूद भी हरीराम का नाम जोड दिया है, जो गलत है। अपीलान्ट की दो पुत्रियां पुष्पा व रामपति है, जो जीवित है तथा अपीलान्ट की वारिसान है। अपीलान्ट के पति नानगा ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया, न ही अपीलान्ट ने किसी को गोद लिया है। सरपंच ग्राम पंचायत भैड़ोला ने बिना सुने ही नामा0 में हरीराम का नाम दर्ज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 में से हरीराम का नाम निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 हरीराम ने जबाब पेश किया कि प्रार्थीया पुष्पा वसीयत के आधार पर मृतक मूली के नाम की आराजी को हड़पना चाहती है। मूली का दिनांक 02.12.09 को देहान्त हो गया था जिसके सभी क्रियाकर्म प्रार्थी हरीराम ने किये थे। मूली की मृत्यु के बाद पुष्पा अपनी मॉ की मृत्यु के बाद आज तक शोक प्रकट करने नही आयी। प्रार्थी हरीराम नानगा का गोद पुत्र है, जिसके पगड़ी बंधी थी। उसने साक्ष्य में मुख्तयारनामा व पंचनामा एवं ग्राम पंचायत के निर्णय की छाया प्रति प्रस्स्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचनामा, मुख्तयारनामा व ग्राम पंचायत भैडोला के पूर्ण कोरम द्वारा सर्वसम्मति के निर्णय को सही मानते हुऐ अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 हरीराम ने सरपंच से साज कर अपीलान्टा के पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त आराजी को हडपने की नीयत से अपने आपको गोद पुत्र बताकर नामा0 दर्ज करा लिया। अधीनस्थ न्ययालय में अपीलान्ट की मॉ ने अपील पेश की थी, जो फौत हो चुकी है। अपीलान्ट के माता पिता के कोई पुत्र नही था। हरीराम ने साज करके गोद पुत्र में नाम जोड़ा है। गोद पुत्र भी रजिस्टर्ड नहीं है उसके बाबजूद भी ग्राम भेडोला द्वारा रैस्पो. हरीराम को अवैधानिक तरीके से पुत्र घोषित कर नामा0 तस्दीक किया है। उनका तर्क है कि ग्राम पंचायत को उत्तराधिकारी घोषित करने एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि मीणा जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नही है कि निर्वसीयत मृतक के वारिसान को छोड़कर अन्य व्यक्ति के नाम विरासत/उत्तराधिकार दिया जावे। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार घोषित करने का एक मात्र क्षेत्राधिकार जिला जज को ही प्राप्त है। ग्राम पंचायत का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व नामा0 आदेश निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 हरीराम मृतक मूली व नानगा का गोद पुत्र है। मृतक नानगा की पगड़ी हरीराम के ही बंधी थी। रैस्पो0 ने साक्ष्य में मुख्तारनामा व पंचनामा एवं ग्राम पंचायत के निर्णय की छाया प्रति प्रस्तुत की है मुख्तयारनामा में अंकित है कि नानगराम पुत्र रामचन्द का उत्तराधिकारी हरीराम है। नानगराम की जायदाद का हकदार हरीराम रहेगा व उसकी बहिन बेटी आदि को रीति रिवाज के अनुसार हरीराम मानता रहेगा। नानग राम की दोनों पुत्रियों पुष्पा व रामपति ने राजी खुशी हरीराम को अपना भाई बना लिया है। उक्त मुख्तयारनामा पर नानगराम की दोनों पुत्रियों पुष्पा व रामपति तथा ग्राम के अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। मूली की दिनांक 02.12.2009 को मृत्यु हो गयी थी। हरीराम मृतक नानगराम व मूली को गंगाजी लेकर गया था। पुष्पा व रामपति अपने अपने ससुराल में रहती हैं। हरीराम पुष्पा व रामपति को बहन के समान मानता है। ग्राम पंचायत ने सर्वसममति से निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि मीणा जाति पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिये पुत्रियों का कोई हक नही होता है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि रैस्पो0 हरीराम ने सरपंच से साज कर अपीलान्टा के पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त आराजी को हडपने की नीयत से अपने आपको गोद पुत्र बताकर नामा0 दर्ज करा लिया। गोद पुत्र भी रजिस्टर्ड नहीं है उसके बाबजूद भी ग्राम भेडोला द्वारा रैस्पो. हरीराम को अवैधानिक तरीके से पुत्र घोषित कर नामा0 तस्दीक किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि सरपंच ग्राम पंचायत भेडोला ने नानगा पुत्र रामचन्दर के फौत होने पर उसकी विरासत हरीराम पि.मु. नानगा व भूरी वेवा नानगा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर निर्णय पारित नही किया है। जबकि विरासत के मामले में समस्त तथ्यों पर विचार कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। प्रकरण में अपीलान्ट को भी नही सुना गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत व उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के निर्णय को उचित नही माना जा सकता है। प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2011 एवं नामा0 सं0 38 दिनांक 23.10.2000 ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official